लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *31

जिसका उत्तर मंगलवार, 20 जुलाई, 2021 को दिया जाएगा

ग्राहक जागरूकता कार्यकलापों के लिए अनुदान

***31. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:**
श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ग्राहक जागरूकता कार्यकलाप चलाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई सहायता अनुदान जारी करती है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र को वर्ष 2017 से लेकर अब तक जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न संगठनों/एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों, जिनके पास पीएफएमएस पंजीकरण है, के नंबर जारी करने के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं/अग्रेषित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"ग्राहक जागरूकता कार्यकलापों के लिए अनुदान" के संबंध में लोक सभा के दिनांक 20.07.2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *31 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.) : उपभोक्ता जागरूकता योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के पास, निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, किए जाने वाले कार्यकलापों का विस्तृत विवरण देते हुए प्राप्त प्रस्तावों, निधियों की आवश्यकता और विगत वर्ष मे जारी अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान जारी करने का घटक उपलब्ध है।

103 संस्थाओं की कुछ सूचनाओं के साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ था। तथापि, महाराष्ट्र राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेन्सी और निधियों की आवश्यकता के साथ किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यकलापों का ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ था। महाराष्ट्र राज्य सरकार से दिनांक 02 मार्च, 2021 के पत्र संख्या के-2/2/2021 के माध्यम से विशिष्ट प्रस्ताव और लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया था। इसलिए, किसी विशिष्ट प्रस्ताव की कमी और पूर्व में जारी निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित होने के कारण, उपभोक्ता जागरूकता योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 से अब तक कोई निधि महाराष्ट्र सरकार को जारी नहीं की जा सकी है।

******